समाहरणालय, अरवल

बिहार सरकार

ई-मेल–dm-arwal.bih@nic.in वेबसाइट - arwal.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 06337-228988

ज्ञापांक- 370 /राजस्व, (जिला राजस्व शाखा) दिनांक- 23/06/2017

आदेश

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–1915, दिनांक 18.12.2014 में निहित निदेश के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 10/रा0, दिनांक 05.01.2015 के द्वारा निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अरवल जिले जमाबंदी पंजियों का स्कैनिंग एवं बाईंडिंग कार्य करने हेतु निविदा सूचना का प्रेषण किया गया था। उक्त आलोक में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के द्वारा विज्ञापन आई.डी. संख्या–10995/2015 के द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था। जिसके आलोक में कुल–05 (पाँच) निविदाएँ प्राप्त हुई। अपरिहार्य कारणवश उक्त निविदा का निष्पादन नहीं हो सका।

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के स्तर से दिनांक **05.06.2017** को The Telegraph में प्रकाशित विज्ञापन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी पंजी–II के स्कैनिंग हेतु निविदाएँ प्रकाशित कर दी गई है।

अतः उक्त कार्य हेतु अरवल जिले से पूर्व में प्रकाशित निविदा रद्द की जाती है। तद्नुसार सभी निविदादाताओं को अग्रधन की राशि वापस किया जाय।

समाहर्त्ता, 23/6/17
अरवल।

ज्ञापांक 370 /रा0, अरवल, दिनांक 23/6/2017

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि संबंधित निविदादाताओं को अग्रधन की राशि वापस करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस आदेश को जिले के बेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

समाहर्त्ता, 23/6/17
अरवल।